

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:- 813 /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/20वां चरण/2016-17, दिनांक 14-02-2017
विषय:- खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सी0पी0) अन्तर्गत एफ0एम0डी0 टीकाकरण का 20वां चरण दिनांक 15.03.2017 से प्रारम्भ किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

अवगत कराना है कि खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सी0पी0) का 20वां चरण प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में दिनांक 15.03.2017 से चलाया जाना है। अतः खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण की योजना के सफल संचालन हेतु दिये गये अद्यतन दिशा निर्देश में निम्न अनुदेशों का समावेश/पालन करते हुये 20वें चरण का टीकाकरण प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे तथा टीकाकरण के लिए बनाये गये माइक्रोप्लान के अनुसार टीकाकरण निम्न निर्देशों के साथ किया जाना सुनिश्चित करें-

- एफ0एम0डी0 टीकाकरण के 20वें चरण के संचालन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि एफ0एम0डी0 टीकाकरण दिनांक 15.03.2017 से अवश्य प्रारम्भ करा दे।
- टीकाकरण हेतु 1 पशु चिकित्साधिकारी, 2 पशुधन प्रसार अधिकारी, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टीम बनायें तथा आवश्यकतानुसार एवं उपलब्धता अनुरूप पैरावेट/बैफ के कर्मी को भी अभियान में सम्मिलित करें।
- प्रति टीम 400-500 टीका प्रतिदिन प्रति टीम की दर से टीकाकरण पूर्ण करने हेतु जनपद की पशु संख्या के अनुसार प्रत्येक जनपद में टीमों का गठन करें।
- सम्पूर्ण प्रदेश में एक साथ टीकाकरण कार्य होने के कारण उक्त अभियान हेतु बाहरी जनपदों से स्टाफ की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है। फलतः जनपद में उपलब्ध विभागीय स्टाफ, पैरावेट्स, बायफ के कर्मियों का उक्त अभियान में प्रतिभाग/सहयोग लेना सुनिश्चित किया जाये क्योंकि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें समस्त सहयोगी विभागों/ संस्थाओं से सहयोग लिया जाना न्यायसंगत होगा।
- ग्राम वार, तिथि वार टीकाकरण जनपद के माइक्रोप्लान के विलेज रोस्टर के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें।
- उपलब्ध सिरिज, निडिल एवं अन्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हुये टीकाकरण प्रारम्भ करें।
- रोस्टर के अनुसार पूर्व की भांति जहां पहले टीकाकरण प्रारम्भ हुआ है। वहां पहले एवं उसी क्रम में संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

- विषाणुजन्य वैक्सीन होने के कारण वैक्सीन को 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर परिरक्षण एवं परिवहन करना अनिवार्य है।
- कोल्ड चेन अन्तर्गत जनपद स्तर पर सम्पूर्ण वैक्सीन कोल्ड स्टोर्स/कोल्ड कैबिनेट/ आइसलाइनर्स में परिरक्षित की जाय तदोपरान्त पर्याप्त कोल्ड चेन में ब्लाक स्तर पर पहुँचाया जाये।
- ब्लाक स्तर पर आवश्यकतानुसार वैक्सीन की मात्रा कोल्ड बाक्सेज में परिरक्षित की जाये।
- सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी कोल्ड चेन की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
- क्षेत्र स्तर पर वैक्सीन कैरियर्स में प्रत्येक टीम को दैनिक आवश्यकतानुरूप वैक्सीन उपलब्ध करायी जाये। प्रत्येक दिन की बची हुई वैक्सीन पुनः विकास खण्ड स्तर पर परिरक्षित की जाये।
- टीकाकरण टीम द्वारा प्रत्येक पशु को लगाये गये टीके का विवरण पशु स्वामी का नाम पशु टीकाकरण पंजिका में तिथि सहित अंकित किया जाये।
- 4 माह से कम उम्र के पशु (बच्चों) एवं 8 माह से अधिक गर्भित पशुओं का टीकाकरण नहीं किया जाना है।
- प्रत्येक टीम द्वारा प्रतिदिन टीकाकरण पंजिका में टीकाकरण का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये एवं संकलित सूचना जनपद मुख्यालय को प्रेषित की जाये।
- प्रत्येक दिन जनपद स्तर पर संकलित सूचना उसी दिन निदेशालय पशुपालन विभाग स्थित कन्ट्रोल रूम को दूरभाष नम्बर 0522-2740832 एवं नम्बर 0522-2741991 तथा नम्बर 0522-2741992 पर सायं 03 बजे से 06 बजे तक उपलब्ध करायी जाये।
- जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित करें तथा उसका नाम व दूरभाष नम्बर निदेशालय को सूचित करें। उचित होगा कि किसी भिन्न एवं कर्मठ पशुचिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाय।
- स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जिन ग्रामों में टीकाकरण हो उसकी सूचना समय-समय पर दी जाये, जिसके लिये जनपद स्तर के जिला सूचना अधिकारी से सहयोग प्राप्त करें।
- तहसील दिवसों के माध्यम से टीकाकरण का पूर्ण प्रचार-प्रसार किया जाना उचित होगा।
- कार्यक्रम अन्तर्गत शत-प्रतिशत पशुओं का आच्छादन किया जाना है। फलतः पशु मेला, पशु बाजार आदि स्थानों का संज्ञान लेते हुये पशु मेला एवं पशु बाजार के आयोजन के दिन भी विशेष रूप से टीकाकरण किया जाये।
- भारत सरकार/30प्र0 शासन के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मितव्यता का अवश्य संज्ञान लिया जाये।
- कार्यक्रम के संचालन, वैक्सीनों एवं टीमों के परिवहन के लिये आवश्यकतानुसार बहुउद्देशीय संचल पशुचिकित्सा सेवायें वाहनों का प्रयोग करें।
- जनपद अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों एवं गोशालाओं में कराये गये टीकाकरण की सूचना संकलित करना आवश्यक होगी।
- प्रत्येक जनपद के चयनित 10 ग्रामों से, टीकाकरण के पूर्व प्रत्येक चिन्हित ग्राम से 10 गोवंशीय एवं 10 महिषवंशीय पशुओं तथा टीकाकरण उपरान्त, 30 दिन बाद पुनः उन्हीं पशुओं

का रक्त/सीरम सैम्पल एकत्र किया जाये। सीरम सैम्पल समय से 30प्र0, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा को जांच हेतु प्रेषित किये जाये। सीरम सैम्पल एकत्र करने से पूर्व पशुओं का चिन्हीकरण किया जाये। पशुओं के चिन्हांकन की समुचित व्यवस्था की जाये।

- 19वें चरण हेतु टीकाकरण का लक्ष्य संलग्न है, जिसे शत प्रतिशत पूर्ण किया जाना है। अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- भारत सरकार द्वारा प्रेषित एफ0एम0डी0 टीकाकरण के क्रियान्वयन हेतु निर्देश एवं प्रारूप पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्र सं0-308/सा0-1 दिनांक 04.08.2016 द्वारा उपलब्ध कराये जा चुके हैं। तदनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराई जाए।
- एफ0एम0डी0-सी0पी0 के 20वें चरण हेतु डा0 यू0एल0 गुप्ता, उपनिदेशक, टी0बी0 ब्रुसेल्ला, मुख्यालय को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका मोबाइल नं0-9415758723 है।

भवदीय,

(ए0एन0 सिंह)

निदेशक,

रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।

संख्या:- 813 /सा0-1/एक्स-160/एफ0एम0डी0-सी0पी0/20वां चरण/2016-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- उपायुक्त (एल0एच0), पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
- 5- संबंधित जिलाधिकारी, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण कराकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
- 6- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डलान्तर्गत जनपदों में एफ0एम0डी0 टीकाकरण का 20वां चरण दिनांक 15.03.2017 से प्रारम्भ कराकर इसका प्रभावी अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें।

(ए0एन0 सिंह)

निदेशक,

रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।